2020/00345

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाजी
जाति चौधरी
निवासी कोजरा जरिये पावर ऑफ एटॉर्नी होल्डर
श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रतापराम रावल
जाति रावल आयु वयस्क
निवासी केशुआ
तहसील रेवदर जिला सिरोही (राज.)

सरकार जरिये
अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट   मुकदमा नं. 70 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.09.2020	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम के सी. आर. नं. 73 दिनांक 21.05.2020 में दिनॉक 21.05.2020 को उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का पिकअप नम्बर आजे 24 जीए 4632 पकडा गया हैं जिसमें 7 ड्रम प्लास्टिक के डीजल से भरे हुए पाये गये। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई तो थानाधिकारी कोतवाली सिरोही जो इस मुकदमे के जांच अधिकारी है द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मूल पत्रावली अभियुक्त उदयभानसिंह के अग्रिम जमानत सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय को भिजवाई हुई है। तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 4866 दिनांक 22.9.2020 का अवलोकन किया गया। परिवाद आज दिनांक 22.09.2020 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 21.05.2020 को वक्त 06.40 ए. एम. पर अंकित जैन उपअधीक्षक पुलिस द्वारा श्री निर्मल खत्री उपनिरीक्षक को दूरभाष पर सूचना दी गई कि महादेव होटल पालडी एम एन.एच. 62 पर होटल के पीछे खेत में एक पिकअप गाडी में भारी ... डीजल सस्ते दामों में बेचने के लिये रखा हुआ ... जिस ... श्री निर्मल खत्री उपनिरीक्षक ... मय श्री ... हेडकानि. नम्बर 525 श्री ...लाल कानि. 79 ... हुआ। एवं उनिपु श्री पूरा... हेडकानि. ... थाना पालडी एम मय श्री गिरधरसिंह नम्बर 536 कानि. श्री ...श कुमार नम्बर 87 मय सरकारी वाहन व चालक श्री शिशपालसिंह नम्बर 743 महादेव होटल पालडी एम से पहले सिरोही की तरफ जाने वाले हाइवे पर वक्त 06.40 ए.एम. पर उपस्थित मिले जिन्हें श्री निर्मल खत्री उपनिरीक्षक द्वारा इत्तला से अवगत	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवाया गया था। श्री पूराराम उनिपु पुलिस थाना पालडी एम मय जाब्ता एवं श्री निर्मल खत्री उपनिरीक्षक मय जाब्ता के महादेव होटल के पीछे पहुंचे। मौके पर एक पिकअप नम्बर आरजे 24 जीए 4632 के पीछे डाले में 7 प्लास्टिक ड्रम जो डीजल से भरे हुए मिले। पुलिस थाना पालडी एम ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि महादेव होटल के पीछे खेत में हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है जहां होटल के पीछे खेत पर एक पिकअप चालक अपने पिकअप में डीजल चोरी कर परिवहन कर रहा है चोरी किया हुआ डीजल कम दाम में खरीद कर बेचने का काम करता है। पिकअप में 7 ड्रम डीजल के भरे हुए पाये गये एवं झाड के पेड के पास जमीन पर 11 ड्रम जिसमें 8 ड्रम डीजल से भरे हुए एवं 3 ड्रम पेट्रोल से भरे हुए पाए गए। उक्त डीजल को अवैद्य रूप से खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उच्च दामों में बेचने हेतु ले जा रहा है। श्री उदयभानसिंह उर्फ डिक्सा पुत्र श्री डूंगरसिंह निवासी पालडी एम पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही जो वाहन का चालक है से पूछने पर बताया कि उसनें डीजल क्रय कर लाया हैं। पूछताछ करने पर परमिट या बिल होना नहीं बताया हैं।

मौके पर उपस्थित वाहन चालक के समक्ष वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 7 ड्रमो में से 3 ड्रमों में 210–210 लीटर एवं 4 ड्रमों में 220–220 लीटर मय वाहन के कब्जे पुलिस लिया गया। जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 3/7 का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 dh SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा व सरकार पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री उदयभान हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर आ रहा था जिसके पास में बिल वगैरह थे पुलिस द्वारा अवैध रूप से उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 7 ड्रमों में से 3 ड्रमों में 210–210 लीटर एवं 4 ड्रमों में 220–220 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन व डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है। डीजल एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.03.12 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पुलिस द्वारा डीजल एवं वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :–

Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.

अतः डीजल एवं वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

श्री अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 73 दिनांक 21.05.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में पिकअप नम्बर वाहन संख्या आर. जे. 24 जीए 4632 में डीजल 7 ड्रमो में से 3 ड्रमों में 210–210 लीटर एवं 4 ड्रमों में 220–220 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है अतः वाहन एवं डीजल को उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर क्रमांक 73 दिनांक 21.05.2020 [illegible] द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्येापान्त मनन [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष [illegible] पुलिस द्वारा पिकअप नम्बर आर जे 24 [illegible] 4632 में 7 ड्रमो में से 3 ड्रमों में 210–210 लीटर एवं 4 ड्रमों में 220–220 लीटर डीजल परिवहन करते हुये प[illegible] पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है । डीजल को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना स्वभाविक है । ऐसी स्थिति मे डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के सम्बन्ध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नहीं पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है । उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निरतारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है:–

Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973-Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 5,00,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते हैं। वाहन में पाये गये डीजल एवं ड्रम में भरे हुए डीजल एवं जरीकन में भरा डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका अन्तरिम निस्तारण करना आवश्यक हैं ।

साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे एवं डीजल व पेट्रोल के निस्तारण के संबंध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत परिवाद इस न्यायालय में पेश करें।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके पंजीकृत स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के [illegible] रखा जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
[illegible]ला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

24.09.2020	माफिक आदेश प्रार्थी श्री डूँगरसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी पालडी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । पिकअप वाहन नम्बर आरजे 24 जीए 4632 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 5,00000/- (अक्षरे रू. पांच लाख) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है एवं पिकअप वाहन संख्या आरजे 24 जीए 4632 का सुपुर्दगीनामा श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति चौधरी आयु वयस्क निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज.) द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । पिकअप वाहन संख्या आरजे 24 जीए 4632 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 5,00000/- अक्षरे रू. पांच लाख) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम वाहन के पंजीकृत स्वामी को वाहन सुपर्द कर रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश करें। (भगवती प्रसाद) **जिला कलेक्टर, सिरोही** क्रमांक : कोर्ट/2020/530 दिनांक : 24.09.2020 प्रतिलिपि पालनार्थ :- 1. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम । जिला कलेक्टर, सिरोही	डूंगरसिंह अर्जुनराम 24/09/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner